## <u>न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण क्रमांक : 446 / 2016 इ.फो.

संस्थापन दिनांक : 28.07.2016

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

## बनाम

1+पप्पू उर्फ राजवीर उर्फ पिस्टन पुत्र मेहरबानसिंह गुर्जर उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम आलौरी थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियुक्त

( आरोप अंतर्गत धारा—294, 452, 324, 323 एवं 506 भाग दो भा0दं०सं० )

( राज्य द्वारा एडीपीओ- श्री प्रवीण सिकरवार )

( आरोपी द्वारा अधिवक्ता-श्री अशोक पचौरी )

## <u>निर्णय</u>

( आज दिनांक 03-08-2017 को घोषित )

आरोपी पर दिनांक 12.05.16 को शाम करीबन 7 बजे फरियादी सोनू के घर के सामने ग्राम आलौरी गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी सोनू को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी सोनू के निवासगृह में उपहित कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृहअतिचार कारित करने, फरियादी सोनू की धारदार आयुध फर्शे से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने एवं उसी समय बीच बचाव करने आई उषा की फर्शे के उल्टी तरफ से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने तथा फरियादी सोनू को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने हेतु भावदास की धारा 294, 452, 324, 323 एवं 506 भाग दो के अंतर्गत आरोप है।

2 संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 12.05.16 को शाम 7 बजे फरियादी सोनू अपने दरवाजे पर बैठा था तभी आरोपी पप्पू आया था और उसने सोनू से कहा था कि टैक्टर के कल्टीवेटर पंचायत भवन के सामने से हटा लो फरियादी सोनू ने कल्टीवेटर हटाने से मना किया था इसी बात पर आरोपी पणू सोनू को मां—बहन की बुरी—बुरी गालियां देने लगा था। फरियादी ने गालियां देने से मना किया था तो आरोपी पणू ने उसके बांये तरफ सिर में फर्शा मारा था वह डर के मारे घर में घुस गया था तो पणू ने घर के अंदर आकर उसे फर्शे का बेंटा मारा था जो उसके सिर में दाहिनी तरफ लगा था जब उसकी मां उषा उसे बचाने आई थी तो पणू ने फर्शे का बेंटा उसकी मां की बांयी आंख में मारा था। मौके पर सिमिन्द राजा व अवधेसिंह थे जिन्होंने घटना देखी थी और उसे बचाया था। फरियादी की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद पर अप०क० 122/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे, आरोपी को गिरफतार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे रंजिशन प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन हुए हैं:--
  - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 12.05.16 को शाम करीबन 7 बजे फरियादी सोनू के घर के सामने ग्राम आलौरी गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी सोनू को मां—बहन की अशलील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
  - 2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी सोनू के निवासगृह में उपहित कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया ?
  - 3. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी सोनू एवं आहत उषा की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छ्या उपहृति कारित की ?
  - 4. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी सोनू को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी सोनू गुर्जर अ0सा01, आहत श्रीमती उषा अ0सा02, अवधेशसिंह गुर्जर अ0सा03, डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा04 एवं ए.एस.आई राधेश्याम जाट अ0सा05 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में स्वयं के अतिरिक्त साक्षी बदनसिंह ब0सा02 को परीक्षित कराया गया है।

## <u>निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण</u> विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04

- 7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी सोनू गुर्जर अ०सा०1 ने

न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 7–8 माह पहले की शाम 6 बजे की है। वह अपना कल्टीवेटर पंचायत भवन की जगह में रख देता तो आरोपी पप्पू ने उसे कल्टीवेटर हटाने के लिए कहा था। आरोपी ने उसे मां—बहन की गालियां दी थी उसके बाद पप्पू ने उसके सिर में फर्शा मारा था जो उसके सिर में दाहिने तरफ लगा था जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा था फिर वह अपने घर आ गया था तो आरोपी पप्पू भी उसके घर के अंदर घुस आया था पप्पू ने उसे लकड़ी का ढूंसा मारा था फिर उसकी मम्मी उषा उसे बचाने आई थी तो पप्पू ने उसकी मम्मी के लकड़ी के फर्शे का बेंटा मारा था जिससेउसकी मां के बांयी आंख में चोट आई थी आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में लिखाई थी जो प्र0पी—1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके आरोपी से कभी अच्छे संबंध नहीं रहे हैं आरोपी के भाइयों की जमीन उसने ले ली थीं तभी से उसका आरोपी के यहां आना जाना नहीं है। पद क्रमांक 3 में उक्त रसाक्षी का कहना है कि झगड़े के समय वह पंचायत भवन के पास हनुमान जी के मंदिर के पास बैठा था पंचायत भवन उसके घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर है दो घर छोडकर नदी है एवं नदी के पास पंचायत भवन है पंचायत भवन के पास ही आरोपी का मकान है। जब वह हनुमानजी के मंदिर पर बैठा था तब आरोपी पप्पू अपने घर से निकला था पप्पू अपने घर से खाली हाथ आया थापप्पू ने मंदिर पर आकर उससे कल्टीवेटर हटाने के लिए कहा था तो उसने कल्टीवेटर हटाने से मना किया था फिर आरोपी अपने घर वापिस चला गया था एवं फर्शा लेकर अपने घर से आ गया था। पद कमांक 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि जब उसे फर्शा मारा था तो मौके पर कोई नहीं था बाद में उसका भाई अवधेश आ गया था मंदिर पर ही झगडा हो गया था फर्शा लगते ही वह मौके पर बेहोश हो गया था उसका भाई उसे घर उठाकर ले गया था फिर गांव के ही एक डॉक्टर ने उसका इलाज किया था तब उसे दो घण्टे बाद होश आया था। पद क्रमांक 5 में उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपी घटना के दो घण्टे बाद फर्शा लेकर उसके घ ार आया था तब घर पर उसका भाई अवधेश एवं उसकी मां उषा के अलावा कोई नहीं था जब आरोपी उसके घर आया था तब वहअपने तखत पर लेटा था उस समय उसकी मां आंगन में उसके पास थी और उसका भाई भैंसों की व्यवस्था कर रहा था आरोपी ने आकर उसकी मां से बात की और कल्टीवेटर के बारे में कहा था आरोपी ने उसकी मां से दरवाजे पर बातचीत की थी। इतना कहकर आरोपी गालियां देते हुए चला गया था और कुछ नहीं हुआ था। पद कमांक 6 में उक्त साक्षी का कहना है कि घटना की रिपोर्ट करने वह दूसरे दिन 12 बजे थाने गया था। उसके पिता भारतीय जनता पार्टी के नेता है उसके पिता के कहने पर टी0आई0 साहब ने रिपोर्ट लिख ली थी रिपोर्ट में क्या लिखा है उसे जानकारी नहीं है जो पिताजी ने बताया था वहीं लिखा था उससे तो हस्ताक्षर करा लिए थे। पद कमांक 7 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पापा के कहने से ही वह बयान दे रहा है एवं यह भी व्यक्त किया है कि ऐसा नहीं हुआ था कि आरोपी ने उसकी मारपीट घर के सामने की हो। पद क्रमांक 8 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी से घर के अंदर कोई झगडा नहीं हुआ था।
  - 10. आहत उषा अ०सा०२ एवं साक्षी अवधेशसिंह गुर्जर अ०सा०३ ने भी फरियादी

सोनू अ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को आरोपी द्वारा सोनू एवं उषा की मारपीट किए जाने बाबत प्रकटीकरण किया है।

- 11. डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा०४ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 13.05.16 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में थाना गोहद के आरक्षक रायिसंह द्वारा लाये जाने पर आहत सोनू का चिकित्सीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने सोनू के शरीर पर दो चोटें पाईं थी जिनमें से चोट क्रमांक 1 सिर में कटा हुआ घाव एवं चोट क्रमांक 2 बांये स्केपुला पर कंटयूजन स्थित था। उसके मतानुसार चोट क्रमांक 1 कठोर एवं धारदार वस्तु से एवं चोट क्मांक 2 कठोर एवं भौंथरी वस्तु से आना संभावित थी उक्त चोटें सामान्य प्रकृति की थी एवं उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व 6 से 24 घण्टे के अंदर की थीं। उसकी रिपोर्ट प्र०पी—3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने उक्त दिनांक को ही आहत उषा का भी चिकित्सीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने उषा के बांयी तरफ आंख में लाल कंटयूजन पाया था उसके मतानुसार उक्त चोट सख्त एवं भौंथरी वस्तु से आना संभावित थी एवं साधारण प्रकृति की थी तथा उसकीपरीक्षण अविध के पूर्व 6 से 24 घण्टे के अंदर की थी उसकी रिपोर्ट प्र०पी—4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 12. ए.एस.आई. राधेश्याम जाट अ०सा०५ द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।
- 13. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 14. बचाव के दौरान आरोपी पप्पू उर्फ राजवीर ब0सा01 द्वारा स्वयं को परीक्षित कराया गया है। आरोपी द्वारा न्यायलय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि फरियादी सोनू एवं उसकी मां उषा को कल्टीवेटर पलटने से चोटें आई थीं उसका फरियादी से कभी कोई विवाद नहीं हुआ था। सोनू के पिता भूरे सिंह ने उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण लगाया है। साक्षी बादामसिंह ब0सा02 ने भी पप्पू उर्फ राजवीर ब0सा01के कथन का समर्थन किया है तथा फरियादी सोनू एवं उषा के कल्टीवेटर पलटने से चोटें आने बाबत प्रकटीकरण किया है।
- 15. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी सोनू गुर्जर अ0सा01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय आरोपी ने उससे कल्टीवेटर उठाने के लिए कहा था उसने कल्टीवेटर नहीं उठाया था तो आरोपी ने उसे गालियां दीं थी और उसके सिर में फर्शा मारा था फिर वह अपने घर आ गया था तो आरोपी भी उसके घर के अंदर घुस आया था एवं घर के अंदर घुसकर आरोपी ने उसकीव उसकी मां उषा की फर्शे के उल्टी तरफ से मारपीट की थी। इस प्रकार फरियादी सोनू गुर्जर अ0सा01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में एक ही अनुक्रम में आरोपी पप्पू द्वारा घर के बाहर एवं घर के अंदर उसकी एवं उसकी मां उषा की मारपीट करना बताया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा व्यक्त किया गया है वह पंचायत भवन के पास स्थित हनुमान जी के मंदिर पर बैठा हुआ थाजो उसके घर से 100 मीटर की दूरी पर है वहीं पर आरोपी पप्पू ने उससे कल्टीवेटर हटाने के लिए कहा

था पहले पप्पू खाली हाथ आया था जब उसने कल्टीवेटर हटाने से मना किया थ तो पप्पू अपने घर से फर्शा लेकर आया था एवं उसके सिर में फर्शा मार दिया था जिससे वह बेहोश हो गया था फिर उसका भाई अवधेश उसे बेहोशी हालत में ह ाटनास्थल से लेकर आया था उसका गांव के डॉक्टर ने इलाज किया था तब उसे दो घण्टे बाद होश आया था एवं दो घण्टे बाद आरोपी पुनः फर्शा लेकर उसके घर पर आया था उस समय वह तखत पर लेटा था आरोपी ने दरवाजे पर उसकी मां से बातचीत की थी फिर वह गालियां देता हुआ चला गया था परन्तु उक्त सभी तथ्यों का उल्लेख प्र0पी—1 की रिपोर्ट एवं फरियादी सोनू के पुलिस कथन में नहीं है। प्र0पी—1 की रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि बाहर मारपीट होने के दो घण्टे बाद आरोपी पुनः फर्शा लेकर फरियादी सोनू के घर पर आया था। फरियादी सोनू अ०सा०1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि आरोपी ने घर में घुसकर उसकी व उसकी मां उषा को फर्शा मारा था परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी दरवाजे से ही उसकी मां से बातचीत करके वापिस लौट गया था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से कोई झगडा नहीं हुआ था।

- 16 इस प्रकार फरियादी सोनू अ०सा०१ के कथन से यह दर्शित है कि फरियादी सोनू अ०सा०१ के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्विक बिन्दुओं पर अत्यधिक विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान एक नयी घटना बतायी गयी है तथायह भी स्वीकार किया गया है कि आरोपी से घर के अंदर कोई झगडा नहीं हुआ था। फरियादी सोनू अ०सा०५ अपने परीक्षण के दौरान अपने कथनों पर स्थिर नहीं रहा है उसके द्वारा एक ही समय में घटना के संबंध में परस्पर विरोधाभासी कथन किए गए हैं जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।
- 17. आहत उषा अ०सा०२ ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपी पप्पू द्वारा सोनू की फर्शे से मारपीट किया जाना बताया है तथा यह व्यक्त किया है कि जब उसका लडका घर में आया था तो पप्पू भी घर पर आ गया था और उसने उसके लडके सोनू के दाहिनी तरफ सिर में फर्शामारा था तब जब वह बचाने गयी थी तो आरोपी ने उसके भी फर्शे का ठूंसा मारा था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी पप्पू उसके लडके पीछ—पीछे ही आ गया था उसने आरोपी को अपने लडके के पीछे—पीछे आते देखा था। ऐसा नहीं हुआ था कि घटना के समय उसका लडका पंचायत भवन के पास हनुमान जी के मंदिर के पास बेठा हो।
- 18. इस प्रकार आहत उषा अ0सा02 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी पप्पू उसके लड़के के पीछे-पीछे ही घर के अंदर आ गया था एवं आरोपी ने उसके लड़के के सिर में फर्शा मारा था तब जब वह बचाने गयी थी तो आरोपी ने उसके भी फर्शा मारा था परन्तु यह बात स्वयं फरियादी सोनू द्वारा नहीं बतायी गयी थी। फरियादी सोनू अ0सा01 का ऐसा कहना नहीं है कि आरोपी ने घर के अंदर घुसकर उसकी व उसकी मां उषा की मारपीट की थी। फरियादी सोनू अ0सा01 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी बाहर मारपीट होने के दो घण्टे बाद घर पर आया था जबिक आहत उषा अ0सा02 का कहना है कि आरोपी सोनू के पीछे-पीछे ही आ गया था। फरियादी सोनू अ0सा01 द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी घर पर दरवाजे से ही उसकी मां से बातचीत करके चला गया था तथा

यह भी स्वीकार किया है कि घर के अंदर कोई झगडा नहीं हुआ था जबिक आहत उषा अ0सा02 का कहना है कि आरोपी ने घर के अंदर घुसकर उसकी व सोनू की फर्शे के उल्टी तरफ से मारपीट की थी। फरियादी सोनू अ0सा01 ने घटना पंचायत भवन में स्थित हनुमान मंदिर के सामने होना बताया है जबिक आहत उषा अ0सा02 का कहना है कि घटना के समय उसका लडका हनुमान मंदिर के सामने नहीं बैठा था। आहत उषा अ0सा02 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि ऐसा नहीं हुआ था कि घटनास्थल से उसका लडका अवधेश सोनू को लेकर आया हो एवं ऐसा भी नहीं हुआ था कि उसने गांव के डॉक्टर से सोनू का इलाज कराया हो। इस प्रकार फरियादी सोनू अ0सा01 एवं आहत उषा अ0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण के कथन तात्विक बिन्दुओं पर परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना दते हैं।

- 19. फरियादी सोनू अ०सा०१ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि वह घटना के दूसरे दिन 12 बजे अपने पिता के आने के बाद रिपोर्ट करने गया था जबकि आहत उषा अ०सा०२ का कहना है कि वह उसी दिन शाम के 8 बजे रिपोर्ट लिखाने थाने गये थे। ऐसा नहीं हुआ था कि वह दूसरे दिन थाने पर रिपोर्ट करने गये हों। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी फरियादी सोनू अ०सा०१ व आहत उषा अ०सा०२ के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।
- 20. जहां तक अवधेशिसंह गुर्जर अ0सा03 के कथन का प्रश्न है तो अवधेश अ0सा03 ने अपने मुख्यपरीक्षण में सोनू व उसकी मां उषा की फर्श से मारपीट करना बताया है एवं प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि झगड़े के समय उसका भाई सोनू घर के बाहर बैठा था। ऐसा नहीं हुआ था कि झगड़े के समय सोनू पंचायत भवन के पास हनुमान मंदिर के चबूतरे पर बैठा था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि घर के बाहर कोई झगड़ा नहीं हुआ था झगड़ा पंचायत भवन के बाहर कल्टीवेटर के पास हुआ था। वह अपने भाई सोनू को लेकर अस्पताल नहीं गया था वह उसी दिन रात को 8 बजे ग्वालियर निकल गया था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि ऐसा नहीं हुआ था कि उसका भाई सोनू कल्टीवेटर के पास चोट लगने से बेहोश हो गया हो और वह उसे उठाकर घर लाया हो।
- 21. इस प्रकार अवधेश गुर्जर अ०सा०३ ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि झगड़े के समय सोनू हनुमान मंदिर के चबूतरे पर नहीं बैठा था तथा यह भी व्यक्त किया है कि उसका भाई सोनू कल्टीवेटर के पास बेहोश नहीं हुआ था तथा वह सोनू को उठाकर घर नहीं लाया था जबकि फरियादी सोनू अ०सा०1 का कहना है कि झगड़ा हनुमान मंदिर के चबूतरे पर हुआ था एवं वह वहां पर बेहोश हो गया था तथा उसे अवधेश उठाकर लाया था। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी सोनू अ०सा०1 एवं अवधेश गुर्जर अ०सा०३ के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अवधेश गुर्जर अ०सा०३ ने यह भी व्यक्त किया है कि वह सोनू को लेकर अस्पताल नहीं गया था वह उसी दिन 8 बजे ग्वालियर निकल गया था जबिक आहत उषा अ०सा०२ का कहना है कि अस्पताल अवधेश एवं भूरेसिंह गये थे। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी साक्षी अवधेश गुर्जर अ०सा०३ के कथन आहत उषा अ०सा०२ के कथन से परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जो अवधेश अ०सा०३ के कथनों के प्रति संदेह उत्पन्न कर देते हैं।

- इस प्रकार फरियादी सोनू गुर्जर अ०सा०१, आहत उषा अ०सा०२ एवं अवधेशसिंह गुर्जर अ०सा०३ के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण के कथन तात्विक बिन्दुओं पर परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अभियोजन कहानी के अनुसार घटना वाले दिन फरियादी सोनू अपने घर के दरवाजे पर बैठा था तभी आरोपी पप्पू ने आकर उससे कल्टीवेटर हटाने के लिए कहा था तथा इसी बात पर पप्पू ने सोनू के सिर में फर्शा मारा था एवं जब सोनू घर के अंदर भागा था तो आरोपी ने घर के अंदर घुसकर फरियादी सोनू के फर्शा मारा था एवं जब उसकी मां उषा उसे बचाने आई थी तो आरोपी ने उषा की भी फर्शे से मारपीट की थी। इस प्रकार अभियोजन कहानी के अनुसार उषा की मारपीट घर के अंदर हुई थी परन्तु फरियादी सोनू अ०सा०1 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि घर के अंदर आरोपी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। यद्यपि आहत उषा ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपी पप्पू द्वारा घर के अंदर घुसकर उसकी व सोनू की मारपीट करना बताया है परन्तु यह बात स्वयं फरियादी सोनू अ०सा०1 द्वारा नहीं बतायी गयी है। फरियादी सोन् अ०सा०१ द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि घर के अंदर आरोपी से कोई झगडा नहीं हुआ था ऐसी स्थिति में यह संदेहास्पद हो जाता है कि आरोपी ने घर के अंदर घुसकर फरियादी सोनू एवं उषा की मारपीट की थी।
- 23. जहां तक घर के बाहर फरियादी सोनू की मारपीट होने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि फरियादी सोनू ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि झगड़े के समय वह पंचायत भवन के पास हनुमानजी के मंदिर के पास बैठा था। उसके घर से दो घर छोडकर नदी है एवं नदी के पास पंचायत भवन है तथा वह पंचायत भवन के पास स्थित हनुमान जी के मंदिर के पास बैठा था एवं आरोपी ने वहीं आकर उससे कल्टीवेटर हटाने के लिए कहा था आरोपी पहले खाली हाथ आया था उसने कल्टीवेटर हटाने से मना किया था तो आरोपी अपने घर वापिस चला गया था फिर वह घर से फर्शा लेकर आ गया था और उसकी मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी ने घर के सामने उसकी मारपीट नहीं की थी एवं उसने घर के सामने कल्टीवेटर हटाने की बात पर झगडा होने वाली बात अपनी रिपोर्ट प्र0पी–1 व पुलिस कथन प्र0डी–1 में नहीं लिखाई थी। इस प्रकार फरियादी सोन् अ0सा01 ने हनुमान जी के मंदिर के पास आरोपी द्वारा उसकी मारपीट करना बताया है तथा इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी ने उसकी मारपीट उसके घर के दरवाजे पर की थी जबिक अभियोजन कहानी के अनुसार घटना उसके घर के दरवाजे की है। प्र0पी-2 के नक्शे मौके में भी घटनास्थल फरियादी के रिहायशी घर के अंदर एवं बाहर होना दर्शित है जबकि फरियादी सोन् अ०सा०१ ने अपने घर के अंदर एवं बाहर झगडा होने से इंकार किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से यह ही संदेहास्पद हो जाता है कि आरोपी ने फरियादी सोनू के घर के बाहर एवं घर के अंदर फरियादी सोनू की एवं आहत उषा की मारपीट की थी। उक्त तथ्य से संपूर्ण अभियोजन घटना ही संदेहास्पद हो जाती है।
- 24. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्र0पी—1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 12.05.16 को 19:00 बजे की है एवं थाने पर सूचना दिनांक 13.05.16 को दिन के 13:00 बजे अर्थात 01:00 बजे की गयी है। इस प्रकार प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लेखबद्ध कराई गयी है। उक्त संबंध में

फरियादी सोनू अ0सा01 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसके पापा घर पर नहीं थे इस कारण वह घटना वाले दिन रिपोर्ट करने नहीं गया था उसके पापा के आने के बाद सलाह मशविरा करके वह रिपोर्ट करने गये थे जबकि आहत उषा अ0सा02 का कहना है कि वह घटना वाले दिन ही शाम 8 बजे रिपोर्ट करने गये थे। इस प्रकार उक्त बिन्द् पर भी फरियादी सोन् अ०सा०१ एवं उषा अ०सा०२ के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलम्ब से लेखबद्ध कराई गयी है तथा विलम्ब का कोई उचित स्पष्टीकरण भी नहीं है। प्रकरण में फरियादी सोनू अ0सा01, उषा अ0सा02, द्वारा आरोपी से रंजिश होना स्वीकार किया गया है। फरियादी सोनू अ०सा०1 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया गया है कि उसके पिता के कहने पर टी0आई0 ने रिपोर्ट लिख ली थी रिपोर्ट में क्या लिखा है उसे जानकारी नहीं है उसके पिता ने जो बताया था वही लिखा था उससे तो हस्ताक्षर करा लिए थे एवं यह भी स्वीकार किया है कि वह अपने पिता के कहने से बयान दे रहा है। इस प्रकार फरियादी सोनू अ0सा01 के उक्त कथनों से यह भी दर्शित है कि फरियादी सोनू द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखाई गयी है एवं रिपोर्ट उसके पिता द्वारा लिखाई गयी है। फरियादी सोन् को रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके पिता एवं आरोपी की रंजिश है तथा फरियादी द्वारा उसके पिता के कहे अनुसार ही बयान दिया गया है। उक्त संपूर्ण तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

- 25. उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फिरियादी सोनू अ0सा01, उषा अ0सा02 एवं अवधेश अ0सा03 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यन्त विरोधाभासी रहे हैं। फिरियादी सोनू अ0सा01 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वयं यह व्यक्त किया गया है कि घर के बाहर एवं घर के अंदर उसका आरेपी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलम्ब से लेखबद्ध कराई गयी है एवं विलम्ब का जो कारण बताया गया है वह भी उचित नहीं है। आरोपी एवं फिरियादी के मध्य रंजिश प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 26. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।
- 27. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 12.05.16 को शाम करीबन 7 बजे फरियादी सोनू के घर के सामने ग्राम आलौरी गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी सोनू को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, फरियादी सोनू के निवासगृह में उपहित कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया, फरियादी सोनू को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं उसी समय फरियादी सोनू की धारदार आयुध फर्शे से एवं आहत उषा की फर्शे की मूठ की तरफ से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहित कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी पप्पू उर्फ राजवीर को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा0द0स0 की धारा 294, 452, 506 भाग दो, 324 एवं 323 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

28. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

29. प्रकरण में जप्तशुदा फर्शा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात तोड़—तोड़कर नष्ट किया जावे एवं अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान–गोहद

दिनांक :-03.08.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)